State Health Resource Centre
Chhattisgarh

State Health Training Centre Building,
Kalibadi, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India
Tel : 0771-2236175, Tele-Fax: 0771-2236104.
e-mail: shrc.cg@gmail.com, Web : www.shsrc.org

पत्र क्रमाँक/ 978 /SHRC/2014 रायपुर, दिनाँक : 24/07/2014

प्रति,

उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय, तृतीय तल, इंद्रावती भवन
नया रायपुर –492002

विषय :–चिकित्सा अधिकारियों की स्थानांतरण नीति का प्रारूप के संबंध में।

संदर्भ :–आपका पत्र क्रमाँक एफ 1–98/2014/विज्ञप्त/327 रायपुर, दिनाँक : 16/06/2014

संदर्भित पत्र के अनुसार लेख है कि कार्यालय राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ द्वारा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पदस्थ/कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) बनाए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक–रायपुर, सरगुजा, बस्तर व उप संचालक–मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग स्थापना आदि के सहयोग के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

अतः उक्त स्थानांतरण नीति का प्रारूप संलग्न कर आपके समक्ष प्रेषित है।

संलग्न :–स्थानांतरण नीति का प्रारूप की प्रति।

pp
कार्यकारी संचालक
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
छत्तीसगढ़

पत्र क्रमाँक/ 979 /SHRC/2014 रायपुर, दिनाँक : 24/07/2014

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संचालनालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

28/07/14

O/C

28/7/14

pp
कार्यकारी संचालक
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
छत्तीसगढ़

चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती एवं स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु नीति
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़)
(मसौदा)

काफी समय से राज्य शासन के ध्यान में यह बात आती रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए एक पारदर्शी और तर्कसंगत या युक्तिसंगत तैनाती और स्थानांतरण नीति का सृजन किया जाए।

पृष्ठभूमि :

एक निष्पक्ष गैर भेदभावपूर्ण स्थानांतरण और पदोन्नति नीति की कमी ने उन डॉक्टरों की आभिप्रेरणा में कभी सृजित की है जिन्होंने इस क्षेत्र में समर्पित सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है। देश के कई राज्यों में राजनैतिक प्रभाव द्वारा प्रभावित विभिन्न समितियों/प्राधिकारियों द्वारा विचित्र स्थानांतरण और तैनातियाँ की गई है। इसे कैसे रोका जाए, यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कार्यसूची के तहत् मानव संसाधन प्रबंधन का एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में भी यह आरोप लगाया जाता रहा है कि यहाँ विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों की अयुक्तिसंगत या अतर्कसंगत पदस्थापना/तैनाती की गई है, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कॉमन समीक्षा मिशन और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (RCH प्रोग्राम) के तहत् संयुक्त समीक्षा मिशन का भी पर्यवेक्षण था। वर्तमान शासन इस विसंगति को ठीक करने के लिए कृत संकल्प है।

अतः डॉक्टरों के वर्ग के लिए एक नई नियुक्ति और साथ ही स्थानांतरण नीति के सृजन की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक पदोन्नति नीति का निर्धारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिससे उनके कैरियर में प्रगतिपरक पथ सृजित हो सके।

तैनाती एवं स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निरूपित किए जाते हैं :–

1. चिकित्सा अधिकारियों की स्थानांतरण एवं नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ का होगा।
2. सभी एम.बी.बी.एस. स्नातकों की प्रथम नियुक्ति आधारभूत डॉक्टरों के रूप में केवल अभी निर्धारित (चिन्हांकित) दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में ही की जाएगी।
3. यदि विभाग किसी सुनिश्चित समय–सीमा में डॉक्टरों की व्यापक स्तर पर नियुक्ति की कार्ययोजना बना रही है तो वे पहले अपने सम्यक स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करे ताकि पात्र वरिष्ठ डॉक्टरों की नियुक्ति/स्थानांतरण उनके द्वारा वांछित/इच्छित बेहतर केन्द्रों में की जा सके और उनके स्थानांतरण द्वारा इस प्रकार से सृजित मूल कार्य स्थल में रिक्तता की पूर्ति कनिष्ठ डॉक्टरों की प्रथम नियुक्ति के रूप में करते हुए की जा सकेगी।
4. स्थानांतरण हेतु सम्पूर्ण सूची वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, तत्पश्चात् नई नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ होने चाहिए।

5. स्थानांतरण/नियुक्ति का निष्पादन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी ज्वाईन करने वाले नए डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रशिक्षण लेने के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC)/एफ.आर.यू. में फील्ड स्तरीय प्रशिक्षण लेने के लिए इन संस्थानों के कार्यो को सीखने और चरणबद्ध रूप में स्थानांतरित पदाधिकारियों/अधिकारियों के कार्यों/कर्तव्यों (Duty) को सीखने के लिए एक माह की अवधि के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए।
6. स्टाफ के स्थानांतरण संबंधी कार्य को निष्पादित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दीर्घावधि दूसरे शब्दों में सेवा अभिलेखों के अनुसार किसी विशिष्ट संस्थान/यूनिट में कार्यकाल/ठहराव की वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन स्टाफ के स्थानान्तरण के समय किया जाना चाहिए।
7. किसी भी नियुक्ति स्थान पर किसी डॉक्टर/विशेषज्ञ का सामान्य कार्यकाल उनके ज्वायनिंग /नियुक्ति तिथि से न्यूनतम 3 वर्षों की होगी, परन्तु अवकाश की अवधि और अन्यत्र बाह्य प्रशिक्षण के दौरान मूल नियुक्ति स्थान से अनुपस्थिति को इस 3 वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा।

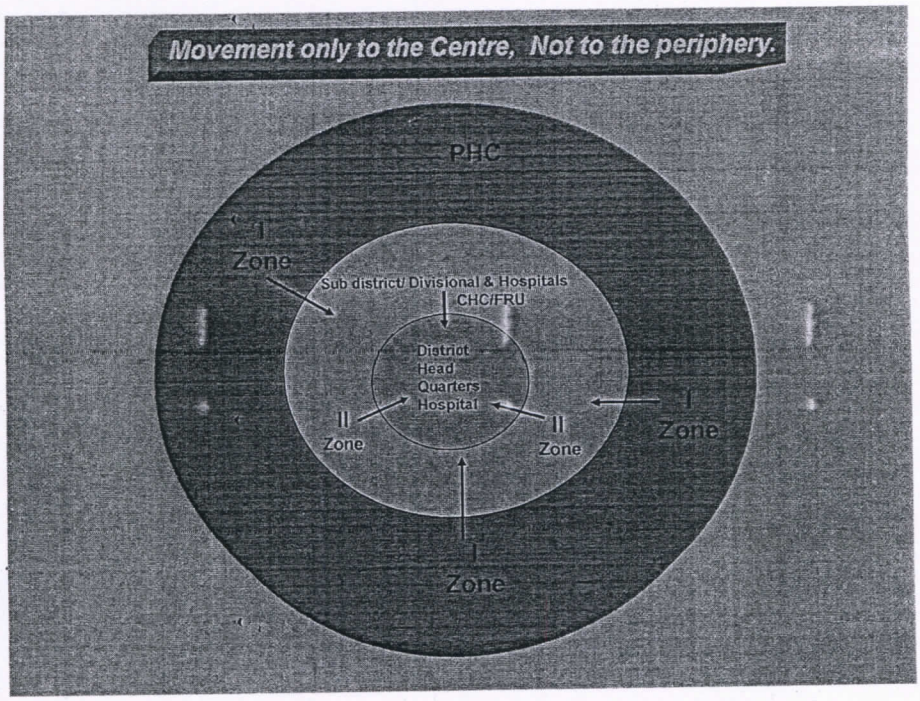

- एक वित्तीय वर्ष में स्नातकोत्तरधारी (PGMO) चिकित्सकों/वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों में से केवल 5 प्रतिशत चिकित्सकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- एक वित्तीय वर्ष में चिकित्सा अधिकारियों (MBBS) में से केवल 10 प्रतिशत चिकित्सकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा तीन स्तर पर परिभाषित किया जाएगा।
  1. प्रथम – सामान्य
  2. द्वितीय – कठिन
  3. तृतीय – कठिनतम्

उपरोक्त तीन स्तर पर विभाजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से सर्वप्रथम स्थानांतरण एवं नियुक्ति तृतीय स्तर – कठिनतम् पर किए जाएँगे, तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम स्तर पर स्थानांतरण दिया जाएगा।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्रथम रेफरल इकाई (FRU) में स्थानांतरण के लिए केवल पी.जी.एम.ओ. का स्थानांतरण किया जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी विशेषज्ञों का स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं किया जाएगा।

8. आगे, 3 वर्षों की अवधि के बाद भी ऐसे किसी डॉक्टर का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा, जिनके कार्य को ओ.पी.डी./आई.पी.डी./राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निष्पादन के संबंध में मापदण्ड के अनुसार संतोषजनक पाया जाता है और यदि वे उसी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएँ जारी करने के लिए इच्छुक हों। ऐसी स्थिति में ऐसे डॉक्टरों को विशेष हितकारी पैकेज (केवल चिन्हांकित संस्थान के लिए) दी जा सकती है। ऐसे प्रत्येक मामले में तदानुसार यथोचित कार्रवाई संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा की जाएगी।
9. इस प्रकार से जारी सभी स्थानांतरण आदेश को निष्पादित किया जाएगा। यदि कोई संबंधित पदाधिकारी किसी प्रकार के अवकाश पर चले जाते हैं तो अवकाश के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि के पश्चात् ही उनका स्थानांतरण प्रभावी होगा। ड्यूटी स्थल पर उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही नियुक्ति के कार्यकाल की गणना की जाएगी।
10. यथा परिभाषित दिशा–निर्देशों के आधार पर एक बार किसी व्यक्ति का स्थानांतरण अन्य स्थान पर हो जाने के पश्चात् उनके पुराने कार्यस्थल में उनके रिलीवर के आने का रास्ता देखे बिना वे अपने नए नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
11. चिन्हांकित दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि की नियुक्ति की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद डॉक्टरों का स्थानांतरण कम दूरस्थ अथवा गैर–आदिवासी क्षेत्रों (छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा कॉर्प्स नीति पर आधारित) में किया जाएगा।
12. उनके गृह जिले में प्राथमिकता दी जा सकती है यदि अभ्यर्थी की ऐसी अभिरूचि हो।
13. यदि किसी डॉक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी तीन वर्षों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली गई है और स्नातकोत्तर (PG) के लिए आवेदन किया जाता है तो सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
14. प्रशासनिक आधार पर संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ/आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ से पूर्व आदेशों की प्राप्ति के बाद किसी भी समय किसी डॉक्टर को स्थानांतरित किया जा सकता है। तथापि, फाईल की नोटशीट में किसी डॉक्टर की इस प्रकार से संभावित स्थानांतरण की विनिर्दिष्ट प्रशासनिक आधार कर उल्लेख किया जाएगा।

चिकित्सकों द्वारा अपने इच्छित केन्द्रों में स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार केवल निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा।

1. जहाँ तक संभव हो स्टाफ के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ 1 अप्रैल से 31 मई तक या इससे पूर्व जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि नए पदाधिकारीगण विभाग की कार्य पद्धति से परिचित हो जाएँ। इससे उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त समय सीमा भी प्राप्त होगी।
2. स्थानांतरण के लिए आवेदन को केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. तीन वैकल्पिक स्थलों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। तीन विकल्पों के बिना प्रस्तुत किसी भी आवेदन को तत्काल रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. किसी विशेष स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक से अधिक डॉक्टरों द्वारा विकल्प के टकराव की स्थिति में नई नियुक्ति के मामले में मेरिट के आधार पर और सेवारत डॉक्टर के मामले में उनके स्थानांतरण के आवेदन की तिथि से पिछले तीन वर्षों की ओपीडी/आईपीडी/संस्थागत डिलीवरी आँकड़े स्वास्थ्य संस्थान के आबंटन हेतु मार्गदर्शी मापदण्ड होगा।
5. स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता धारी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.)/First Referral Unit/सिविल अस्पताल में ही की जाएगी ताकि उनकी सेवा अवधि के दौरान उनकी विशेषज्ञता का अधिकतम लाभ लिया जा सके।
6. किसी विशेषज्ञ के स्थानांतरण के मामले में, प्राथमिकता के आधार पर प्रतिस्थापना के रूप में उसी क्षेत्र के डॉक्टर के साथ की जाएगी। आपातकालीन प्रसूति देखभाल (EmOC)/जीवन रक्षक एनेस्थेसिस कौशल (LSAS) में प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टरों की नियुक्ति केवल प्रथम रेफरल इकाई (FRU) के रूप में नामित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही होगी।
7. यदि किसी डॉक्टर के द्वारा, जिन्हें तकनीकी विषयों अथवा किसी विशेषीकृत प्रशिक्षण (जन स्वास्थ्य/लोक स्वास्थ्य प्रशासन) में अभिरूचि हो, स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया जाता है और यदि शासन ऐसा समझती है तो उनके आवेदन पर विशेष आधार पर विचार किया जाएगा। परन्तु अंतिम निर्णय केवल संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा ही अनुशंसा के लिए लिया जाएगा।
8. यदि तीन दिए गए विकल्पों में से किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में कोई रिक्ति नीति अनुसार नहीं है तो विकल्पित तीनों संस्थानों में से किसी में भी तब तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जब तक रिक्ति उपलब्ध नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में अगले वर्ष होने वाली स्थानांतरण के दौरान आवेदक को सबसे पहले प्राथमिकता दी जावेगी।
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप संभागीय अस्पतालों में विशेषज्ञों और एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों की नियुक्ति केवल स्टाफिंग मापदण्डों के कड़ाई से अनुपालन के अनुसार ही की जाएगी।
10. प्रत्येक मंजूरीकृत विशेषज्ञ पद के लिए एक डॉक्टर ही प्रदाय किया जाएगा। इसी प्रकार, जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ और एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों का प्रदाय स्टाफिंग मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा।
11. किसी भी परिस्थिति में मंजूर पदों से अधिक पद संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
12. मानव संसाधन HRMIS डॉटा को सर्वाधिक रूप से अद्यतन (Update) किया जाएगा और इस मापदण्ड के अनुपालन की निगरानी कड़ाई से की जाएगी।
13. पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि के कारण सृजित रिक्तियों को प्रथमः उन डॉक्टरों में से ही किया जाएगा, जिन्होंने उन्हें अपना अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किए जाने के समय निर्धारित प्रपत्र में उक्त विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अपना विकल्प दिया है।
14. यदि इस प्रकार के कोई नियमित चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तो पद को मानकों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए अल्पावधि संविदा आधार पर भरा जाना चाहिए।
15. किसी चिकित्सक को दण्डित करने के आधार पर कोई स्थानांतरण या नियुक्ति नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति को इस प्रकार की नियुक्ति के लिए दोषी समझा जाएगा।
16. आगामी एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। जब तक कि वे स्वयं इसके लिए अनुरोध न करें और बशर्ते कि रिक्ति/आपसी सहमति/समझौता न हो।

17. यदि पति और पत्नी दोनों छत्तीसगढ़ राज्य शासन की सेवा में पदस्थ हैं तो शासन यह प्रयास करेगी कि दोनों को एक ही संस्थान में पदस्थ किया जाए अथवा यथा संभव पास–पास हों या उनकी सुविधा को देखते हुए उसी ब्लॉक में पदस्थ किया जाए।
18. किसी भी स्थिति में योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों की नियुक्ति जिला स्तर पर गैर–क्लीनिकल (Non-Clinical) पदों पर नहीं की जाएगी।
19. दिनाँक 1 जून को यथा स्थित रिक्तियों के विरूद्ध डॉक्टरों की संविदा नियुक्तियाँ राज्य शासन की नीति के अनुसार की जाएंगी।
20. राज्य शासन द्वारा 1 जून के बाद अनुमोदित किसी भी स्थानान्तरण आदेशों का क्रियान्वयन केवल अगले वर्ष के अप्रैल में किया जाएगा ताकि संविदा व्यवस्थाओं को वर्ष के मध्य में समाप्त न किया जाए और मरीजों की स्वास्थ्य सेवा बाधित न हो।
21. यदि स्थानान्तरण चिकित्सक के स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है अथवा उनके द्वारा दिए गए विकल्पों में से ही यदि उन्हें नियुक्ति दी जाती है तो वे किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते (TA/DA) के लिए हकदार नहीं होंगे।
22. जारी तिथि से एक माह की अवधि के भीतर स्थानान्तरण आदेशों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित समय–सीमा के भीतर संबंधित डॉक्टरों की रिलीविंग/ज्वायनिंग सुनिश्चित करेंगे।
23. स्थानान्तरण/तैनाती के समय संबंधित कर्मचारियों के निवास के अधिकृत निवास पर विभाग के लोकहित में कोई समझौता किए बिना सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। (चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मचारियों के लिए अधिकृत निवास को किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा)।
24. नियमों के विरूद्ध स्थानांतरण की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के अवांछित प्रभाव या बाहरी दबाव को गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि यह नीति के विपरीत होगा और इस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
25. एक माह की निर्धारित अवधि के बाद स्थानांतरण आदेशों के गैर–अनुपालन के मामले में वेतन का आहरण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में लापरवाही के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
26. स्थानांतरण के लिए विशेष परिस्थितियों के तहत् प्रावधानों पर विशेष शिथिलता प्रदान किया जा सकता है, जैसे :
    - महिला चिकित्सक
    - शारीरिक रूप से विकलांग् चिकित्सक
    - स्वयं, जीवन साथी या आश्रित बच्चों और माता–पिता के लिए प्रभावी चिकित्सा आधारों पर स्थानांतरण की माँग करने वाले चिकित्सक को दी जाएगी।
    - यदि चिकित्सक के आश्रित जीवन साथी या आश्रित बच्चों और माता–पिता के शारीरिक रूप से अक्षम व गंभीर बीमारी की चिकित्सा/इलाज की आवश्यकता की स्थिति में। किन्तु इस संबंध में जिला चिकित्सा बोर्ड/राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
27. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित प्रारूप में एक कार्यभार (Incumbency) चार्ट का अनुरक्षण करेंगे। स्थानान्तरण/नियुक्ति के लिए यह एक प्रभावी आधारभूत दस्तावेज होगा। इस चार्ट को प्रत्येक तिमाही में अद्यतन किया जाना चाहिए और यह मानव संसाधन पर राज्य स्तरीय HRMIS डॉटा का अवयव होगा।

28. चिकित्सक जिन्होंने दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम तीन से पाँच वर्षों की नियुक्ति के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान किए हैं उन्हें उच्च प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति पर अपेक्स संस्थान में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
29. ऐसे डॉक्टर जो स्नातकोत्तर (PG) कोर्स कर रहे हैं उन्हें "विशेष अवकाश" प्रदाय कोर्स की समाप्ति के बाद मनोनीत सी.एच.सी./एफ.आर.यू. में सेवा करने के लिए बॉण्ड में हस्ताक्षर करने के बाद ही किया जाएगा।
30. कोई भी डॉक्टर, जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा कोर (CRMC) के लिए अपना विकल्प देते हैं, संपूर्ण नियुक्ति और स्थानान्तरण नीति दिशानिर्देशों के अलावा यथा लागू वित्तीय प्रोत्साहन और अनुलब्धियों के लिए हकदार होंगे।

स्थानांतरण हेतु अधिकृत अधिकारी

क्रमाँक	पद का नाम	अधिकृत अधिकारी
1	चिकित्सा अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़
2	प्रथम श्रेणी (Class-1) चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़

विभाग का नाम : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्थानांतरण के संबंध में आवश्यक जानकारी

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान में पदस्थापना जिला	विकासखण्ड	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	प्रस्तावक	स्थानांतरण का कारण	विभागाध्यक्ष का मत	विभाग का मत	अभियुक्ति	स्थानांतरण हेतु तीन वैकल्पिक जिला

नोट :–

1. अब तक किए गए स्थानांतरण ..... प्रतिशत।
2. प्रस्तावित स्थानांतरण के फलस्वरूप .....प्रतिशत होगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित